



प्रेषक,

कमलेश कुमार,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 07 मई, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसुरेमन पुत्र श्री रामकल्प, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान जनपद-सुलतानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-706/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-30.12.2024, दिनांक 07.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसुरेमन पुत्र श्री रामकल्प, जो ग्राम-वृन्दावन एच0ओ0-लक्ष्मनपुर ग्रन्ट, थाना-कोतवाली बीकापुर, जनपद-फैजाबाद मूल पता-जगराज मिश्र का पुरवा एच0ओ0-रामनगर थाना-कूडेभार जनपद-सुलतानपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 16-09-2001 को 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गडासा व बांका से मारकर 06 लोगों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-38/2002, भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-09, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 22-08-2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 21-01-2023 अपरिहार 21 वर्ष 03 माह, 07 दिन तथा सपरिहार 25 वर्ष, 07 माह 14 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित विन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष बन्दी रामसुरेमन पुत्र श्री रामकल्प की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचारण किया गया। जेल रिपोर्ट दिनांक 21.01.2023 तक बन्दी की 46 वर्ष, 07 माह, 23 दिन की आयु बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध (06 व्यक्तियों की हत्या) तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसुरेमन (बन्दी संख्या-46645) पुत्र श्री रामकल्प, निवासी जनपद-फैजाबाद वर्तमान जनपद-सुलतानपुर की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,  
कमलेश कुमार  
उप सचिव।

संख्या-475/2026/14(1)/22-2-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या/सुलतानपुर।
- 2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या/सुलतानपुर।
- 3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
- 4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
- 6- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के संदर्भ में।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
ममता श्रीवास्तव  
अनु सचिव।